मै0 दिनेश सिंह परिहार ग्राम– बजीना, तहसील काण्डा, जिला– बागेश्वर, उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 11.02.2020 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 **दिनेश सिंह परिहार पुत्र स्व0 शीतल सिंह परिहार** द्वारा ग्राम– **बजीना**, तहसील काण्डा, जिला– बागेश्वर, उत्तराखण्ड में 4.941 है0 क्षेत्र में 17905 टन प्रतिवर्ष सोप स्टोन खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन के अनुक्रम में दिनांक **11.02.2020** को प्रातः 11:00 बजे से ग्राम **बजीना** तहसील काण्डा में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 यथासंशोधित के अनुसार इस प्रकार के उद्योग पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा रखने वाले उद्योगो की श्रेणी में आच्छादित हैं। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के क्रम में लोक सुनवाई आयोजित किये जाने का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्राप्त हुआ था। उक्त लोक सुनवाई आयोजित किये जाने हेतु पूर्व में दिनांक 29.08.2019 निर्धारित की गई थी, उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये, परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश अभिलेख जनसामान्य के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अधिशासी अधिकारी न0पा0प0 बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। किन्तु उत्तराखण्ड पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उक्त तिथि को लोक सुनवाई का आयोजन नही किया जा सका। इसी अनुक्रम में राज्य बोर्ड द्वारा पुनः जनसुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण तथा द हिन्दू के दिनांक– 08.01.2020 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। इसी अनुक्रम में दिनांक–11.02.2020 को अपर जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के **सहायक पर्यावरण अभियन्ता, श्री नरेश गोस्वामी** द्वारा सुनवाई में आये हुए महानुभावों तथा लोक सुनवाई के **पैनल के नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी बागेश्वर, श्री राहुल कुमार गोयल** का स्वागत किया गया। इसी क्रम में **उपजिलाधिकारी, काण्डा, श्री योगेन्द्र सिंह** तथा **उपनिदेशक खनन, लेखराज** का भी लोक सुनवाई में स्वागत किया गया।

इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित जन सामान्य का स्वागत करते हुए जनसामान्य से अनुरोध किया गया कि परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् वे पूर्व संचालित माइनों के अनुभव के आधार पर परियोजना के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियॉ सुझाव, टीका टिप्पणी आदि मौखिक अथवा लिखित रूप से दें तॉकि उनको सुनवाई के कार्यवृत्त में शामिल किया जा सकें एवं उनकी आपत्ति/सुझाव को सक्षम स्तर तक पहुँचाया जा सकें।

इसके पश्चात् परियोजना के **सलाहकार संस्था, मै0 ओवरसीज मैनटेक कन्सल्टेन्ट प्रा0लि0** के **श्री समीर कुमार सिंह** द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जन सामान्य को प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा लोकहित के उददेश्य से परियोजना की भविष्य की योजना से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया।

क्रमशः–2

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त निम्न व्यक्तियों द्वारा अपने सुझाव एवं विचार रखे गयेः–

1. श्री दरबान काण्डपाल, ग्राम– बजीना, तहसील– काण्डा, जिला बागेश्वर।

श्री काण्डपाल द्वारा पूछा गया कि इस माइंनिग क्षेत्र में कितने लोगों की जमीनें आ रही है, कितना रकवा आ रहा है और यह मॉग की गयी कि यह पूर्व में निर्धारित हो जाय, तॉकि भविष्य में कोई जटिलता उत्पन्न न हों एवं तहसील इत्यादि में उन्हें चक्कर ना लगाना पड़े।

इस पर पर्यावरणीय सलाहकार श्री समीर कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि जिन–जिन लोगों की भूमि प्रस्तावित माइनिंग क्षेत्र में आ रही है, उनकी भूमि में नियमानुसार खुदान किया जायेगा।

उपजिलाधिकारी, काण्ड़ा द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत आशय पत्र में स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया गया है कि जिन काश्तकारों से अनापत्ति प्राप्त नही हुई है उनके अनापत्ति प्राप्त न होने तक, आवेदक द्वारा उनके खेतों में खनन नही किया जायेगा।

2. श्री भुवन चन्द्र काण्डपाल, ग्राम बजीना, काण्डा, जिला बागेश्वर।

श्री काण्डपाल द्वारा पृछा की गयी कि जिन भू–स्वामियों से अनापत्ति पट्टाधारक को दी गयी है क्या उनसे पुनः अनापत्ति ली जायेगी तथा यह भी मॉग की गयी कि जिनके खेत आ रहे है उनके सदस्यों को प्रस्तावित माइंनिंग में रोजगार मिलना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि भविष्य में यदि कोई दिक्कत आती है, तो हमें प्रशासन से ही सम्पर्क करना पड़ेगा।

इस पर उपजिलाधिकारी, काण्ड़ा द्वारा बताया गया कि जिन खेत स्वामियों द्वारा पट्टाधारक को अनापत्ति दी गयी है एवं जो भी अनुबन्ध तय किया होगा उसके क्रियान्वयन हेतु वे पुनः खेत स्वामी से सम्पर्क करेगें।

इस पर श्री दिनेश सिंह परिहार, पट्टाधारक द्वारा कहा गया कि जिनके भी खेत प्रस्तावित माइंनिंग में आ रहे हैं, उनकी सहमति के पश्चात् ही खनन कार्य किया जायेगा। रोजगार के विषय में उनके द्वारा कहा गया कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

3. श्री भैरव दत्त चंदोला, ग्राम– देलमेल, काण्डा, जिला– बागेश्वर।

श्री चंदोला द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुएं कहा गया कि जब तक खेत स्वामी तथा पट्टाधारक का आपसी सामजस्य ठीक नही होता है, तब तक माइनिंग कार्य में बिलम्ब ही रहता है एवं कहा गया कि जैसा पट्टाधारक का व्यवहार होगा भविष्य में खेत मालिकों का व्यवहार भी वैसा ही होगा, यह भविष्य पर निर्भर है। उनके द्वारा माइन्स सुरक्षा सप्ताह रामनगर में रखे जाने के विषय में कहा गया कि यह सुरक्षा सप्ताह, बागेश्वर के निकटवर्ती क्षेत्रों में होना चाहिए था। जिससे क्षेत्र के लोगों को इस विषय में अनुभव प्राप्त होता एवं लाभ प्राप्त होता। उनके द्वारा इस विषय पर पक्ष रखे जाने का अनुरोध किया गया।

इस पर उपनिदेशक खनन श्री लेखराज द्वारा अवगत कराया गया कि माइन सुरक्षा सप्ताह, डायरेक्टर जनरल माइन एण्ड सेफ्टी द्वारा आयोजित किया जाता है। उनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य में लगे हुए मजदूर से लेकर माइन मालिक तक की सुरक्षा हेतु जागरूकता के उद्देश्य से पूर्ण वर्ष में

क्रमशः–3

एक बार माइन सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जो कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों में अनुपालित होता है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जब से क्षेत्र में माइन सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है तब से क्षेत्र में माइन दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि रामनगर में मात्र अंतिम दिन का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व में माइन इंजीनियरों द्वारा क्षेत्र की माइनों के अध्ययनोंपरान्त चयनित माइन मैनेजरों अथवा मालिकों को सम्मानित किया जाता है। उक्त माइन भ्रमण के दौरान मजदूरों आदि को जानकारी देकर चयनित माइन मजदूरों को भी सम्मानित किया जाता है। उनके द्वारा कहा गया कि उक्त आयोजनकर्ता संस्था के समक्ष आपके प्रस्ताव को रखकर, प्रयास किया जायेगा कि भविष्य में बागेश्वर में भी अंतिम दिन के आयोजन कराया जा सकें।

4. श्रीमती गीता काण्डपाल, ग्राम– बजीना, काण्डा, जिला– बागेश्वर।

उनके द्वारा सभी आगन्तुकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा गया कि प्रस्तावित माइन से उन्हें रोजगार मिलेगा, उनके द्वारा कहा गया कि हर मॉ और औरत चाहती हैं कि उनके पुत्र एवं पति को स्थानीय क्षेत्र में ही रोजगार मिलें। उनके द्वारा माइन मालिक का रोजगार सृजन हेतु धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया।

इस पर **पर्यावरणीय सलाहकार श्री समीर कुमार सिंह** द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना द्वारा लगभग 100 लोगों को योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। उनके द्वारा कहा गया कि महिलाओं द्वारा भी बैक ऑफिस में कार्य किया जा सकता है।

5. श्री कमलेश काण्डपाल, ग्राम– बजीना, काण्डा, जिला– बागेश्वर।

श्री काण्डपाल द्वारा पूछा गया कि खच्चरों के चलने से तथा लोडिंग स्थल पर धूल नियंत्रण हेतु क्या उपाय किये जायेगें।

इस पर **पर्यावरणीय सलाहकार श्री समीर कुमार सिंह** द्वारा कहा गया कि इस हेतु पानी का छिड़काव किया जायेगा एवं इस हेतु बजट का प्रावधान किया गया है एवं धूल का मशीनों द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।

इस पर श्री भैरव दत्त चंदोला द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में पानी की अत्यन्त समस्या है। जिससे क्षेत्रवासियों को दिक्कत होती है।

इस पर **उपनिदेशक खनन श्री लेखराज** द्वारा कहा गया खनिज न्यास फाउन्डेशन के माध्यम से इस प्रकार की योजनायें रखी जा सकती हैं।

इसके पश्चात् **उपजिलाधिकारी काण्डा** द्वारा कहा गया कि लोकसुनवाई का उद्‌देश्य भविष्य में होने वाली पर्यावरणीय क्षति पर क्षेत्रीय जनता से चर्चा करके पर्यावरणीय क्षति को कम करना है। उनके द्वारा कहा गया कि जितना, क्षेत्रीय जनता एवं पट्‌टाधारक के मध्य सांमजस्य होगा, उतना ही बेहतर लाभ क्षेत्रीय जनता को होगा। उनके द्वारा कहा गया कि सी0एस0आर0 का निवेश व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक होना चाहिए, तॉकि जनता को अधिक से अधिक लाभ हो सकें एवं समस्याओं का धरातल पर

क्रमशः–4

ही निपटारा हो सकें। उनके द्वारा आशा व्यक्त की गयी कि पट्टा मालिक स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देकर, स्थानीय उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए लाभ के साथ परियोजना का संचालन करेगें।

इसके पश्चात् **अपर जिलाधिकारी बागेश्वर** द्वारा उपस्थित जनसमुदाय का लोकसुनवाई को सफल बनाने हेतु आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि, प्रस्तावित माइंनिग में पट्टाधारक के साथ ही खेत मालिक भी हिस्सेदार हैं पट्टाधारक की भॉति ही खेत मालिक को भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगें। उनके द्वारा आशा व्यक्त की गयी कि आपसी सहभागिता से माइनिंग का संचालन किया जायेगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। उनके द्वारा खेत मालिक तथा पट्टा धारक के आपस में लिखित अनुबन्ध किये जाने का अनुरोध किया गया, तॉकि भविष्य में कानूनी जटिलताओं के समय इनका उपयोग किया जा सकें। उनके द्वारा सभी खेत मालिकों को आश्वस्त किया गया कि बिना उनकी सहमति से खेतों में खदान नही किया जायेगा। इनके द्वारा पट्टाधारक से कहा गया कि स्थानीय निवासियों से प्राथमिकता निर्धारित करवाते हुए सी0एस0आर0 धन का प्रयोग करें तथा माइनिंग, माइनिंग प्लान के अनुसार एवं वैज्ञानिक ढंग से ही करें। उनके द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से खनिज न्यास फाउन्डेशन के माध्यम से लोक कल्याणकारी कार्यो को रखे जाने का अनुरोध किया गया।

इसके पश्चात् उनके द्वारा सभी क्षेत्रवासियों व पट्टाधारकों को शुभकामना देते हुए एवं अन्य कोई सुझाव टीका टिप्पणी आदि प्राप्त न होने पर लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जनसुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जनसमुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(नरेश गोस्वामी)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प0सं0 एवं प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी

(आर0के0 गोयल)
अपर जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी,
बागेश्वर